रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240901 CG-DL-E-08122022-240901

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5510] No. 5510]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सं. 48 / 2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 12 के तहत नारियल की गिरी के आयात हेत् एसटीई के रूप में एमएमटीसी को डी-नोटिफाइ करने हेतु आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 5746(अ).-समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 12 के तहत एचएस कोड 12030000 की नीतिगत शर्त को संशोधित करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त	
12030000	नारियल की गिरी	राज्य व्यापार		विदेश व्यापार नीति के पैरा	
		उद्यम	2.20 के अधीन एमएमटीसी	2.20 के अधीन नेफेड के	
			के माध्यम से आयात	माध्यम से आयात अनुमत	
			अनुमत है।	है।	

8185 GI/2022 (1)

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

एमएमटीसी को एसटीई के रूप में डी—नोटिफाइड किया गया है। तत्पश्चात एचएस कोड 12030000 के तहत नारियल के गिरी का आयात नेफेड के माध्यम से अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/32/विविध-37/एएम-07/पीसी-2(क)/भाग-V/ई-25648]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2022

No. 48 /2015-2020

Subject: Amendment in Import Policy Condition for de-notifying MMTC as a STE for import of Copra under Chapter 12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).

S.O. 5746.—In exercise of powers conferred by Section 3 and 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015 2020, as amended from time to time, the Central Government, hereby amends the Policy Condition of HS Code 12030000 under Chapter 12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy), as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy			Revised		
			Condition			Policy Condition		
12030000		State Trading Enterprise	Import allowed through MMTC subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy.			Import allowed through NAFED subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy.		

2. Effect of this Notification:

MMTC has been de-notified as a STE. Henceforth, import of Copra under HS Code 12030000 shall be allowed through **NAFED**.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

F. No. 01/89/180/Misc-37/AM-07/PC-2[A]/Part-V./E-25648

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.